

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 16.6.2018

संख्या-12/प0-(मू0को0)405/14-सा0प्र0- 8038 / बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, को० क० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री दीपक कुमार साहु, 983/11, बक्सर	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा (उप सचिव स्तर में उत्कमित)	उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। (उप सचिव स्तर में स्वीकृत फ्लोटिंग पद के विरुद्ध)
2	श्री मनोज कुमार, 1045/11, नालन्दा	वरीय उप समाहर्ता, पटना (उप सचिव स्तर में उत्कमित)	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना। (उप सचिव स्तर में स्वीकृत फ्लोटिंग पद के विरुद्ध)
3	श्री सुधीर कुमार झा, 596/11, मधुबनी	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा।
4	श्री राहुल बर्मन, 1126/11, कैमूर	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बखरी, बेगूसराय	वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज
5	श्री कुमार ओंकेश्वर, 1427/11, रोहतास	वरीय उप साहर्ता, सारण	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बखरी, बेगूसराय

2. श्री राहुल बर्मन को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अर्न्तत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)405/14-सा0प्र0- 8038 / पटना-15, दिनांक- 16.6.2018

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव